ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(8): 867-870
www.allresearchjournal.com
Received: 22-05-2016
Accepted: 28-06-2016

डॉ. अंजना रानी
एसोसिएट प्रोफेसर,
दर्शनशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय,
बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

Correspondence Author:
डॉ. अंजना रानी
एसोसिएट प्रोफेसर,
दर्शनशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय,
बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

धर्मनिरपेक्षता : एक विवेचन

डॉ. अंजना रानी

सारांश
भारत एक धर्म प्राण देश है किंतु भारत अनेक धर्मो वाला देश भी है। इसकी विविधता इसे समृद्धशाली बनाती है, और "विविधता में एकता" तो अन्य देशों की अपेक्षा इसे श्रेष्ठ और गौरवशाली बनाती है। लेकिन "अनेकता में एकता" को कई बार चुनौतियां अधिकांशत: धर्म के नाम पर ही मिलती हैं। भारत के विभाजन का कारण धर्म बना लेकिन सही अर्थों में धर्म परायण लोगों का जीवन और दर्शन बांटने पर नहीं बल्कि सबको एकजुट करने पर जोर देता है। इसी कारण से भारत ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान के निर्माण के बावजूद भारत का निर्माण धर्म के नाम पर नहीं किया। सनातन संस्कृति उस महासागर के समान है, जिसमें सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। अपनी सांस्कृतिक विराटता को और विविधता को बनाए रखने के लिए भारत ने "धर्मनिरपेक्षता" को चुना। उस धर्मनिरपेक्षता को सही अर्थों में समझने की दिशा में यह शोध लेख एक विनम्र प्रयास है।

कूट शब्द: धर्मनिरपेक्षता, इहलौकिकतावाद, सर्वधर्म समभाव।

प्रस्तावना
1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भारत घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना तथापि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए धर्मनिरपेक्षता के संप्रत्यय को गहराई से समझने और धर्मनिरपेक्षता के मानदंडों पर राष्ट्र के यथार्थ को परखने की तात्कालिक आवश्यकता है।
अंग्रेजी भाषा का शब्द "Secularism" लैटिन भाषा के शब्द "Seculam" से बना है जिसका अर्थ "इहलोक" से है।
वर्तमान में secularism के अन्य अर्थ भी प्रचलित हैं। इनमें मुख्यतः तीन अर्थों को ध्यान में लाया जा सकता है-

1. सभी धर्मों का सह-अस्तित्व
2. इहलौकिकतावाद
3. धर्मनिरपेक्षता

1. प्रथम अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग कई देशों में हुआ है। भारत में भी कमोबेश रूप में धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ लिया जाता रहा है। लेकिन कठिनाई यह है कि विभिन्न परंपरागत धर्मों में परस्पर विरोध हैं। कोई मूर्तिपूजक धर्म है तो कोई मूर्तिभंजक, कोई ईश्वरवादी धर्म है तो कोई निरीश्वरवादी (बौद्ध, जैन)। वस्तुतः विभिन्न धर्मों के विश्वास, कर्मकांड एवं आधारभूत सिद्धांतों में बहुत विभेद और असमरूपता है।

ऐसी परिस्थिति में सर्वधर्मसमभाव बहुत लोगों को आकर्षित तो करता है जिसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक बहुलतावादी समाज वाला देश है। यहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध कविता "भारत-तीर्थ" में भारत को महामानव सागर कहा है। इसका आशय है कि जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न नदियों का जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार भारत रूपी महासमुद्र में विभिन्न मानव-समूहों का सम्मिश्रण हुआ है। बहुलतावादी भारतीय समाज ने अपने लंबे इतिहास के विभिन्न युगों में एक ऐसी संस्कृति का विकास किया है, जिसे समन्वयवादी संस्कृति कहा जा सकता है। अनेकता में एकता का सूत्र इसी कारण से जनसामान्य में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन समय-समय पर अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं। उसका कारण मनोवैज्ञानिक है। सामान्य जन अपने धर्म विशेष से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है। धर्म के प्रति उसका विश्वास अंधविश्वास में कब तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यूरोप में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग सभी थे फिर भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच मत अंतर के कारण भीषण युद्ध बहुत लंबा चला जिसे 'धर्म युद्ध'की संज्ञा दी गई। कई शताब्दियों के अपने दुखद अनुभव के बाद यूरोप ने यह सीखा कि धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग करना आवश्यक है। इस अवधारणा को एक वाक्य में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया – "जो सीजर (शासक) का है उसे सीजर को देना चाहिए, और जो पोप का है उसे पोप को"-इस उक्ति के अनुसार राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग-अलग हैं और इनको मिलाने का प्रयास घातक हो सकता है।

2. Secularism को इहलौकिकतावाद के अर्थ में भी लिया गया है। जॉन हेलियक ने सर्वप्रथम "धर्मनिरपेक्षता" शब्द का प्रयोग इहलौकिकता के अर्थ में किया। पाश्चात्य देशों में यह बहुत प्रचलित है। उनकी मान्यता है कि सेकुलर वह है, जो लौकिक जगत तक सीमित है। यह परलोकवाद के विरुद्ध है। यह परम सत्ता को अस्वीकार करता है और इसकी मान्यता है कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास से मानव अब ईश्वर के बिना भी अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। विज्ञान के विकास के पूर्व अकाल, महामारी, बाढ़ आदि प्रकोप से त्रस्त मानव ईश्वर की शरण में जाता था। किंतु अब अकाल को हरित क्रांति से, महामारी को चिकित्सा क्रांति से और बाढ़ को बांध बनाकर कुशलता से नियंत्रित कर लिया गया। अतः ईश्वर की आवश्यकता मानव को अब दिखाई नहीं देती।

वस्तुतः यह मानववादी दृष्टिकोण है, जो बौद्धिकता का परिणाम है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा एवं आप्त वचन के आधार पर इसमें कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता है। ईश्वर विरोधी होने के कारण इसमें प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जाता। यह अस्तित्ववादी दर्शन है, जो मानव को बिना ईश्वर के स्वतः संघर्ष हेतु उत्प्रेरित करता है। यह व्यावहारिकता पर बल देता है जिसके अनुसार अपने उद्देश्यों को पहचान कर उनकी प्राप्ति हेतु स्वयं ही प्रयास किया जा सकता है और पाया जा सकता है। अतः वान हाफर ने कहा है – "क्योंकि मानव अब परिपक्व हो गया है अतः उसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है । अब बिना ईश्वर के जीवन एवं जगत की व्याख्या एवं कार्य सुचारु रुप से चल सकता है। फिलिंट इहलौकिकता को जीवन सिद्धांत कहता है जिसके अनुसार मानव ईश्वर को अस्वीकार करके अपने भाग्य का स्वयं निर्माण

करता है। वह अपने दोषों के लिए भी स्वत:उत्तरदायी है। इस तरह इहलौकिकतावाद से मानव में दायित्व बोध एवं कर्तव्य बोध का भाव पैदा होता है।

किंतु भारत के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि भारत एक धर्मप्राण देश है। चार बड़े धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का जन्म भारत में हुआ है और हमारा पूरा दर्शन और संस्कृति आध्यात्मिक रही है। चार्वाक जैसे दर्शन को छोड़कर कहीं भी इहलौकिकतावाद का बीज दिखाई नहीं देता। अतः इस सिद्धांत को भारत में उर्वर भूमि नहीं मिल सकती।

3. अब हमें यह समझना होगा कि भारत जैसे देश के लिए सर्वधर्म समभाव और इहलौकिकतावाद से बेहतर विकल्प secularism का तीसरा अर्थ धर्मनिरपेक्षता ही है। धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्र भारत के नागरिकों की चेतना का अंग बन चुकी है किंतु दुर्भाग्यवश इसकी अवधारणा और अनिवार्यता पर कुछ वर्गों द्वारा प्रहार किया जाने लगा है। यह प्रचारित किया जाता है कि भारत एक धर्म-प्राण देश है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जनता के द्वारा स्वीकृत नहीं हो सकती। यह बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किए जाने के बावजूद सरकारी नीतियों में इसका पालन नहीं किया गया है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए धर्मनिरपेक्षता को चतुराई से सर्वधर्म सद्भाव में परिणत कर सरकारी संचार माध्यम विभिन्न धर्मों के विश्वासों, पूजा उपासना पद्धतियों एवं यहां तक कि उनके कर्मकांड को प्रस्तुत कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हमारे शासकों द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर की गई पूजा उपासना को सार्वजनिक रूप से संचार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह उनकी निजी आस्था का विषय हो सकता है, उसको निजी ही रहने देना चाहिए। शासकीय पदों पर रहते हुए अपनी निजी पूजा पद्धतियों का सार्वजनिक प्रदर्शन धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के विपरीत है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म का विरोध नहीं करता और न ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मविहीनता है। एक धर्म-निरपेक्ष राज्य अपने सभी नागरिकों को विश्वास, आस्था और पूजोपासना की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। बस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और राज्य नागरिक अधिकारों और पद इत्यादि के मामलों में विभिन्न धर्मावलंबियों में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। राज्य के उच्च से उच्च पद को प्राप्त करने का आधार नागरिक की योग्यता होती है न कि उसका धर्म।

यह विचार सही है कि धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान अवधारणा पाश्चात्य है किंतु इससे इसकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी वर्तमान राष्ट्रीय जीवन के बहुत से तत्व यथा संसदीय प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आदि पाश्चात्य जगत से लिए गए हैं और हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। कोई भी अवधारणा केवल विदेशी होने से त्याज्य नहीं होती।

अपने जीवन और राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए जो भी शुभ तत्व हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए मानसिक परिपक्वता जरूरी है जो कि सम्यक शिक्षा ही ला सकती है। अतः अचार्य नरेंद्र देव ने 1935 के आसपास अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सर्वधर्मसमभाव का उद्देश्य सुनने में जितना अच्छा लगता है, कार्य रूप में उसे परिणत करना उतना ही कठिन है। सर्वधर्म समभाव का उपदेश देने वाले भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हृदय में कहीं न कहीं यह भाव निगूढ़ रूप से वियमान हो सकता है कि उनका अपना धर्म अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के पक्षधर थे किंतु उनका कहना था कि जिस प्रकार से अपनी मां से सुंदर दुनिया में दूसरी कोई नारी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से अपने धर्म से बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता।

गांधी अपने भजनों में "ईश्वर अल्लाह तेरो नाम" गाते रहे और सर्वधर्म प्रार्थना सभा कराते रहे, फिर भी धर्म के

नाम पर होने वाले दंगे को नहीं रोका जा सका और दुर्भाग्य की बात रही कि भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ जिससे इस्लाम धर्म प्रधान पाकिस्तान राष्ट्र बना किंतु सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले गांधी को अपने प्राणों की बलि देकर इसका मूल्य चुकाना पड़ा।

दरअसल यह मामला नागरिकों की जागरुकता और हृदय की विराटता से जुड़ा हुआ है। गर्व से अपने को हिंदू कहने वाले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी की भावी भारत का निर्माण इस्लाम के शरीर और हिंदू मस्तिष्क के समन्वय से होगा। अर्थात् व्यावहारिक भ्रातृभाव तथा सामाजिक समानता के आचार इस्लाम से ग्रहण किए जाएं और हिंदू धर्म के सहिष्णुता तथा समदर्शन के सिद्धांतों के साथ इनका समय समन्वय किया जाए तभी सच्चे अर्थों में भारतीयता का निर्माण हो सकेगा।

संकुचित विचारधारा के आधार पर कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली और महान नहीं बन सकता। हमारे शिक्षकों, चिंतकों और रचनाकारों को यह दायित्व अपने ऊपर लेना होगा कि वह भावी पीढ़ियों में ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करें जो देश की संस्कृति के प्राण को सहेजने संवारने में अपना सर्वस्व लगा दे। "वसुधैव कुटुंबकम्" और यत्र "विश्वं भवत्येकनीडं" का हमारा आदर्श भावी पीढ़ियों के जीवन में उतरे ताकि धर्म को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए साधन न बनाया जा सके।

आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय धर्म-निरपेक्षता के सबसे प्रबल पक्षधर पंडित जवाहरलाल नेहरू बराबर अपने व्याख्यान में यह समझाया करते थे कि धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा कोई भी आधुनिक राष्ट्र नहीं है जो धर्म तंत्र पर आधारित है। जो भी राष्ट्र आधुनिक होना चाहता है, ज्ञान और तकनीकी में संसार के विभिन्न राष्ट्रों के समकक्ष बैठना चाहता है, वह धर्मतंत्र प्रधान हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कानून का शासन और योग्यता का समादर इन दोनों अवधारणाओं के साथ जुड़ी हुई है।

संदर्भ

1. विवेकानंद साहित्य, अद्वैत आश्रम, मायावती 1963.
2. आधुनिक हिंदी निबंध, ओ.पी.मालवीय, प्रयाग पुस्तक भवन.
3. गांधी नेहरू टैगोर तथा अंबेडकर: डॉ एमसी जोशी अभिव्यक्ति प्रकाशन.
4. यशदेव शल्य: संस्कृति मानव कर्तव्य की व्याख्या.
5. बार्थ ए.: रिलीजन्स ऑफ इंडिया
6. महात्मा गांधी: मेरे सपनों का भारत.
7. रविंद्र नाथ टैगोर, रचना (भारत तीर्थ).